



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175090

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29270 वर्ष 2026

राजेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अनुज कुमार गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्तागण : भारत सिंह, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री भारत सिंह ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.08.2026 को उन्होंने इस न्यायालय के कार्यालय में सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, किंतु उनका नाम वाद सूची में प्रदर्शित नहीं हो सका।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार गुप्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री भारत सिंह तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 149 वर्ष 2026, धारा 191(2), 103(1) बी.एन.एस., थाना राजपुरा, जिला संभल में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आरोप के अनुसार आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर लकड़ी की लाठियों से हमला किया, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को कोई चोट नहीं आई थी और उसकी मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। अतः प्रथम दृष्टया वर्तमान अपराध में आवेदक की संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के साथ सह-आरोपी विजयपाल का भी नाम लिया गया था और उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8132 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 11.08.2026 के आदेश के माध्यम से अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है और जहां तक आरोपों का संबंध है, आवेदक का मामला उसके समान है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 26.07.2026 से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. तथापि, यह परिलक्षित होता है कि आवेदक वर्तमान मामले में केवल दिनांक 26.07.2026 से जेल में है, किंतु आरोप के अनुसार उसने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक पर लकड़ी की लाठियों से हमला किया, जिसके कारण उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को कोई चोट नहीं आई थी। अतः प्रथम दृष्टया वर्तमान अपराध में उसकी संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है। इसलिए, केवल अल्प अवधि के कारावास के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमानत आवेदन को लंबित रखना उचित नहीं है।
10. आगे, यह भी परिलक्षित होता है कि सह-आरोपी विजयपाल, जिसका नाम भी आवेदक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और आवेदक का मामला उसके समान है।
11. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।
12. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
14. आवेदक-राजेश को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”